संख्या- 24/2020/1928/77-6-20-एल.सी.04/18टी.सी.

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   नोएडा/ ग्रेटर नोएडा/यीडा/यूपीसीडा/लीडा /सीडा/
   गीडा/डीएमआईसी-आईआईटीजीएनएल।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 23 जुलाई, 2020**

विषयः "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" में वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिए जाने के दृष्टिगत वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स पार्कों तथा इकाइयों के लिए औद्योगिक भू-उपयोग में आवंटित की जाने वाली भूमि का आवंटन औद्योगिक दरों पर ही किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लाजिस्टिक्स नीति-2018" में वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स को उद्योग का दर्जा दिए जाने के दृष्टिगत वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स पार्कों तथा इकाइयों के लिए औद्योगिक भू-उपयोग में आवंटित की जाने वाली भूमि का आवंटन औद्योगिक दरों पर ही किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 24/2020/1928(1)/77-6-20-एल.सी.04/18टी.सी.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, (प्रथम एवं द्वितीय) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।